शादियों में संगीत बजाने पर कॉपीराइट उल्लंघन नहीं

■ **मुंबई,** नवभारत न्यूज नेटवर्क. होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) ने रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने को लेकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के समक्ष पैदा हुए कॉपीराइट मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है. यह अभियान पुणे में हुई हालिया घटनाओं के मद्देनजर शुरू किया गया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुंबई की दो निजी फर्मों ने स्टार होटल में विवाह समारोहों में संगीत प्रदर्शन के लिए कॉपीराइट लाइसेंस जारी करने के बहाने व्यवसायियों से 1.37 लाख रुपये वसूल लिए थे. इसलिए एसोसिएशन अपने इस अभियान के तहत पश्चिमी क्षेत्र के सभी पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक कर उन्हें कुछ लोगों की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने की मांग करेगी.